



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249140  
CG-DL-E-04102023-249140

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 564]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 4, 2023/आश्विन 12, 1945

No. 564]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2023/ASVINA 12, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 717(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 19 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (समितियों की संरचना और कृत्य) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) अभिप्रेत है ;

(ख) “केंद्र” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित और निगमित भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अभिप्रेत है ;

(ग) “रजिस्ट्रार” से अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रार अभिप्रेत है।

(2) उन अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. समितियां- (1) केंद्र, उतनी समितियां गठित करेगा, जो सलाह, सुझाव और निरीक्षण या उसके कृत्यों के विभिन्न पहलुओं की निगरानी हेतु आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :--

- (i) कार्यकारी समिति ;
- (ii) वित्त और प्रशासन समिति ;
- (iii) संकर्म समिति ; और
- (iv) नीति सलाहकारी समिति ।

(2) गठित की गई समितियां केंद्र के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन होंगी ।

4. कार्यकारी समिति—(1) कार्यकारी समिति, केंद्र के कृत्यों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सुझाव देगी और समय-समय पर केंद्र द्वारा दिए गए विनिश्चयों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी ।

(2) कार्यकारी समिति में कम से कम तीन सदस्य होंगे और अधिकतम नौ सदस्य होंगे, जो अन्य व्यक्तियों के बीच में से, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

- (i) केंद्र के तीन सदस्य, जो केंद्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ;
- (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ; और
- (iii) रजिस्ट्रार ।

(3) केंद्र, दो वर्ष की अवधि के लिए, ऐसे चार सदस्य तक अतिरिक्त सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनके पास माध्यस्थता से संबंधित बीस वर्ष से अन्यून का अनुभव हो और जिनकी उपस्थिति से कार्यकारी समिति के कार्य को फायदा हो।

5. वित्त और प्रशासन समिति—(1) वित्त और प्रशासन समिति, केंद्र को ऐसे विषयों जैसे वित्त, लेखा, कर, मानव संसाधन, साधारण प्रशासन, उपापन और ऐसे विधिक विषय जो इसे निर्दिष्ट किए जाएं, पर सहायता करेगी तथा केंद्र के विनिश्चयों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी ।

(2) वित्त और प्रशासन समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी, अर्थात् :--

- (i) वित्तीय सलाहकार, विधि और न्याय मंत्रालय;
- (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ; और
- (iii) रजिस्ट्रार ।

6. संकर्म समिति – (1) संकर्म समिति, केंद्र को भूमि, संनिर्माण, परियोजना अनुरक्षण, मरम्मत या केंद्र के किसी अन्य बड़े संनिर्माण कार्य के संबंध में केंद्र की सहायता करेगी और केंद्र के विनिश्चयों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी ।

(2) संकर्म समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी, अर्थात् :--

- (i) केंद्र का एक सदस्य, जो केंद्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (ii) विधि और न्याय मंत्रालय में विधि कार्य विभाग का एक प्रतिनिधि ;
- (iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ; और
- (iv) रजिस्ट्रार ।

(3) केंद्र, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन या किसी अन्य संनिर्माण एजेंसी से किसी तकनीकी सदस्य को सहयुक्त कर सकेगा जिससे संनिर्माण के क्षेत्र में विशेषज्ञ से प्राप्त इनपुट से फायदा हो ।

7. नीति सलाहकारी समिति-- (1) नीति सलाहकारी समिति, केंद्र की अपनी नीतियां और कार्ययोजना बनाने में सहायता करेगी तथा ऐसे विषयों के संबंध में केंद्र के विनिश्चयों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी ।

(2) नीति सलाहकारी समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी, अर्थात् :--

- (i) केंद्र का एक सदस्य, जो केंद्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

- (ii) विधि और न्याय मंत्रालय में विधि कार्य विभाग का एक प्रतिनिधि ;
- (iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ; और
- (iv) रजिस्ट्रार।

[फा.सं. ए- 60011/48/2022-एनडीआईएसी]

डॉ. राजीव मणि, अपर सचिव

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2023

**G.S.R. 717(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 30 read with sub-section (2) of section 19 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the India International Arbitration Centre (Composition and Functions of the Committees) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** — (1) In these rules unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019);

(b) “Centre” means the India International Arbitration Centre established and incorporated under section 3 of the Act;

(c) “Registrar” means the Registrar referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 23 of the Act.

(2) The other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Committees.** - (1) The Centre shall constitute such Committees as may be considered necessary to advise, suggest and oversee or monitor various aspects of its functioning including the following, namely: -

(i) Executive Committee;

(ii) Finance and Administration Committee;

(iii) Works Committee; and

(iv) Policy Advisory Committee.

(2) The Committees constituted shall be subject to the overall supervision of the Centre.

**4. Executive Committee.** - (1) The Executive Committee shall make suggestions on various aspects concerning the functions of the Centre and to oversee the implementation of the decisions taken by the Centre from time to time.

(2) The Executive Committee shall comprise of minimum three members and a maximum of nine members which shall, amongst other persons, consists of the following, namely: -

(i) three Members of the Centre to be nominated by the Centre;

(ii) Chief Executive Officer; and

(iii) Registrar

(3) The Centre may nominate, for a period of two years, upto four additional members, having experience of not less than twenty years relating to arbitration and whose presence would benefit the working of the Executive Committee.

**5. Finance and Administration Committee.** - (1) The Finance and Administration Committee shall assist the Centre on such matters of finance, accounts, tax, human resources, general administration, procurement and legal matters as are referred to it and oversee implementation of the decisions of the Centre.

(2) The composition of the Finance and Administration Committee shall be as follows, namely:-

- (i) The Financial Adviser, Ministry of Law and Justice;
- (ii) Chief Executive Officer; and
- (iii) Registrar.

**6. Works Committee.** - (1) The Works Committee shall assist the Centre and oversee implementation of the decisions of the Centre with regard to land, construction, maintenance projects, renovation or any other major construction works of the Centre.

(2) The composition of the Works Committee shall be as follows, namely: -

- (i) one Member of the Centre to be nominated by the Centre;
- (ii) a representative of the Department of Legal Affairs in the Ministry of Law and Justice;
- (iii) Chief Executive Officer; and
- (iv) Registrar

(3) The Centre may co-opt any technical Member from the Central Public Works Department or National Buildings Construction Corporation or any other construction agency so that, the Committee is benefited of the inputs of the domain expert in area of construction.

**7. Policy Advisory Committee.** - (1) The Policy Advisory Committee shall assist the Centre in formulating its policies and action plan and overseeing implementation of the decisions of the Centre with regard to such matters.

(2) The composition of the Policy Advisory Committee shall be as follows, namely: -

- (i) one Member of the Centre to be nominated by the Centre;
- (ii) a representative of the Department of Legal Affairs in the Ministry of Law and Justice;
- (iii) Chief Executive Officer; and
- (iv) Registrar.

[F. No. A-60011/48/-2022-NDIAC]

Dr. RAJIV MANI, Addl. Secy.